दिनांक	आज्ञा पत्र
29.6.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आराजी ख0नं0 800/258 रकबा 1.76 हैक्टर ग्राम घोरापुरा अपीलान्ट के पिता भंवर0 पुत्र जगन्नाथ की स्वअर्जित आराजी है ।इस आराजी बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने एक दावा मय धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें अदालत मातहत ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 8-9-16 को बिना अपीलान्ट को सुने विवादित भूमि के राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति को परिवर्तन नहीं करने के लिये पाबन्द किया गया । यह आदेश आगामी पेशी तक के लिये जारी किया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से तामिल कराने के आदेश दिये गये ।इस अन्तरिम एकपक्षीय आदेश को अदालत मातहत ने आज दिनांक तक अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं किया जबकि कानूनन एकपक्षीय आदेश को आदेश-39 नियम-3(क) के अनुसार 30 दिन में अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना चाहिये था । किन्तु अदालत मातहत ने प्रकरण में अन्तरिम आदेश में जबाब के बाद भी लगभग 21 माह तक अन्तिम निस्तारण न कर न्याय का गला घोटने जैसी ही स्थिति की है ।अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने दिनांक8-9-2016 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया है।जबकि अप्रार्थी ने दिनांक 1-4-2017 को जबाब पेश किया । जबाब पेश किये

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि...

दिनांक	आज्ञा पत्र	

लगभग 15 माह का समय निकल गया । इसके बाद भी अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश का अन्तिम रूप से निर्णय न कर कानूनी भूल की है ।हम न्यायहित में प्रकरण को इसी स्तर पर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।जिसमें प्रकरण का अन्तिम रूप से 30 दिन में दोनो पक्षों को सुनकर का निर्णय/निस्तारण करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 8-9-2018 मु0नं0 105/ 2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण अन्तिम रूप से 30 दिन में किया जावे ।पक्षकार अदालत मातहत में नियत दिनांक को उपस्थित होवें । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

29/6/18

(शंकरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर